(8)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 23/2020 (गुण्डा एक्ट)
जी.सी.एम.एस नं.– 2020/00074

उनवान

राज्य सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **कनवास** जिला कोटा ग्रामीण (राज0)

बनाम

प्रकाशचन्द उर्फ चन्द्रप्रकाश पुत्र प्रभुलाल जाति कुमावत निवासी कनवास थाना कनवास जिला कोटा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा (3)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975

निर्णय दिनांक : 13/2/26

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **कनवास के द्वारा इस्तगासा अन्तर्गत धारा (3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 तहत जिला पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण कोटा के माध्यम से इस न्यायालय मे गैरसायल प्रकाशचन्द उर्फ चन्द्रप्रकाश पुत्र प्रभुलाल जाति कुमावत निवासी कनवास थाना कनवास जिला कोटा** जिला कोटा ग्रामीण के विरूद्व जर्ये थानाधिकारी इस आशय का पेश किया कि गैरसायल के विरूद्व तालिका में अंकित प्रकरणों में थाना क्षैत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षैत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते है। जिससे उसके क्षैत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरूद्व साक्ष्य देने के लिऐ आगे आने के इच्छुक नहीं रहते है। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है। गैरसायल के विरूद्व आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र.स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	15/2011	13 आरपीजीओ	03/17-01-2011	सजा
2.	39/2011	13 आरपीजीओ	26/13-2-2011	सजा
3.	2/2014	13 आरपीजीओ	2/11-01-20214	सजा
4.	39/2014	13 आरपीजीओ	31/11-3-2014	सजा
5.	222/2014	13 आरपीजीओ	219/17-12-2014	सजा
6.	88/2016	13 आरपीजीओ	84/2-06-2019	सजा

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

(9)

7.	74/2019	13 आरपीजीओ	70/26-04-2019	सजा
	211/2019	13 आरपीजीओ	201/22-11-2019	सजा

अतः **प्रकाशचन्द उर्फ चन्द्रप्रकाश पुत्र प्रभुलाल जाति कुमावत निवासी कनवास थाना कनवास जिला कोटा** के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुऐ नोटिस दिया गया। गैरसायल उपस्थित हुआ। गैरसायल की ओर से वकील श्री असगर अली अंसारी द्वारा वकालतनामा पेश किया। गैरसायल द्वारा जर्ये वकील जवाब पेश कर कथन किया कि थानाधिकारी कनवास द्वारा पूर्व में भी उक्त धाराओ के तहत इस्तगासा न्यायालय मे पेश किया गया था जिसका निस्तारण दिनांक 8.7.2015 को निस्तारण कर दिया गया है। थानाधिकारी द्वारा पुनः जो इस्तगासा पेश किया है वह पूर्व की धाराओ को आधार बनाया गया है। थानाधिकारी प्रस्तुत इस्तगासा मे प्रार्थी को अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना,जुआ,सट्टे का कारोबार करने का अपराधी बताकर आम जनता में दबदबा बनाने,ज़नता भयभीत होने आद्वि गतिविधियो के आधार पर उक्त धारा 13 आरपीजीओ के तहत प्रकरण दर्ज़ करना बताया है। प्रस्तुत इस्तागासा में थानाधिकारी द्वारा नाम नागरिको के बयान लेखबंद्व कर पत्रावली मे प्रस्तुत नही किए गए है। प्रार्थी मनिहारी की दुकान लगाकर अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, प्रार्थी मानसिक रोग की बीमारी से ग्रसित है प्रार्थी का लगातार ईलाज चल रहा है। उक्त दर्ज किये गये प्रकरण मात्र 13 आरपीजीओ के है जो पुलिस थाना कनवास के द्वारा जानबूझकर लगाये गये है। प्रार्थी के विरूद्व अंतिम प्रकरण वर्ष 2019 मे दर्ज हुआ है उसके बाद थाना कनवास या अन्य जगह किसी भी धाराओ में कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है। प्रार्थी शांतप्रिय,सदाचारी व्यक्ति है कभी भी किसी से लडाई झगडा नही करता है ओर किसी प्रकार की अपराधिक गतिविधियो में शामिल नही रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्व पुलिस थाना कनवास के द्वारा प्रस्तुत किया गया इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम क कार्यवाही ड्रोप की जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अभियोजप पक्ष पैरोकार सरकार की ओर से बहस में प्रस्तुत इस्तगासे में वर्णित 13 आर.पी. जी.ओ. की धारा मे 8 दर्ज प्रकरण अनुसार गैरसायल का अपराधिक प्रवृति का होना कथन करते हुए जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। वकील गैरसायल द्वारा दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यो को दोराहते हुए कथन किया कि पुलिस द्वारा मेरे विरूद्व जो मुकदमें दर्ज किये गये है उनका निस्तारण लोक अदालत की भावनानुसार हो चुका है गैरसायल के विरूद्व कोई प्रकरण लंबित नही है। पुलिस द्वारा उक्त इस्तगासा गैरसायल के विरूद्व दर्ज प्रकरण सन् 2019 को आधार बनाकर उक्त प्रकरण 2020 में प्रस्तुत किया गया है। इस्तगासा प्रस्तुत करने की तिथि से पिछले वर्षो में तथा दौराने विचारण कोई अपराधिक कृत्य किये जाने बाबत् कोई दस्तावेज गैरसायल के विरूद्व पेश नही किया है। गैरसायल वर्तमान में अपना जीयन यापन शांति पूर्वक अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहा है। प्रार्थी पर आरोपित अपराध की अवधि उक्त नोटिस में अधिनियम की धारा के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के तत्काल पूर्ववर्ती 6 माह के भीतर कोई अपराध करारित करने की कोई रिपोर्ट भी नही है। अतःगैरसायल को नेक चलन सदाचारी रहने एवं शांति पूर्वक रूप से जीवन यापन करने हेतु गैरसायल के विरूद्व नरमी का रूख अख्तियार करते हुए विचाराधीन कार्यवाही को समाप्त करने की कृपा करे।

पत्रावली में बहस उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त हम यह पाते हे कि यद्यपि अभियोजन पक्ष पैरोकार सरकार की ओर से इस्तगासे वर्णित 13 आर.पी.जी.ओ. के अभियोजन के अनुसार गैरसायल को अपराधिक प्रवृति का होना कथन करते हुए जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की है। किन्तु गैरसायल के विरूद्व इस्तगासा प्रस्तुत करने की तिथिं 26.08.2020 से आदिनांक तक कोई

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

अपराधिक प्रकरण दर्ज होने संबधी अथवा कोई अपराधिक कृत्य किए जाने संबधित कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही है। गैरसायल के विरूद्व इस्तगासें में दर्ज प्रकरण वर्ष 2019 से पूर्व के है। इन अभियोगो के संबध में गैरसायल की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस मे कथन किया है कि उक्त प्रकरणों का निर्णय लोक अदालत की भावना अनुसार हो चुका है। गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही हेतु यह प्रकरण दिनांक 26.08.2020 को प्रस्तुत किया गया है तथा इस्तगासा प्रकरण करने कि तिथि से दौराने विचारण इस्तगासा कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज होने संबधी अथवा कोई अपराधिक कृत्य किये जाने संबधित कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही है। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह कथन किया है कि गैरसायल को नेक चलन सदाचारी रहने एवं शांति पूर्वक रूप से जीवन यापन करने हेतु गैरसायल के विरूद्व नरमी का रूख अख्तियार करते हुए विचाराधीन कार्यवाही को समाप्त करने की कृपा करे। अतः प्रकरण में उल्लेखित तथ्यों के प्रकाश में यह निर्देशित करते हुए गैरसायल के विरूद्व इस प्रकरण को समाप्त किया जाना उचित समझते है कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (बी) के अनुसार पुनः उपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो गैरसायल के विरूद्व विधिवत नियमानुसार अविलम्ब प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।

अतःउपरोक्त विवेचन अनुसार गैरसायल **प्रकाशचन्द उर्फ चन्द्रप्रकाश पुत्र प्रभुलाल जाति कुमावत निवासी कनवास थाना कनवास जिला कोटा के विरूद्व यह प्रकरण समाप्त किया जाता है तथा थानाधिकारी कनवास को यह निर्देशित किया जाता है** कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (बी) के अनुसार पुनः उपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो गैरसायल के विरूद्व विधिवत नियमानुसार अविलम्ब प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/7/26............ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला कोटा
अति० जिला कलक्टर
कोटा